संख्या-132/2019/2242/22-2-2019-17(965)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 24 अक्टूबर, 2019***

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द्र निवासी जिला-गाजियाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24538/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-26.06.2019) दिनांक-08.08.019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द्र, जो-ग्राम कुर्सी, थाना-मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद उ0प्र0 का रहने वाला है। बंदी ने फिरौती की रकम वसूलने के लिए नैपाल सिंह के पुत्र श्री विशाल का दिनांक 12.06.2002 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033/2002 एवं 1035/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए,34 व 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0 सी0-01) गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा बंदी की अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 15 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 26-02-2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी की आयु लगभग 39 वर्ष होने,बंदी का स्वास्थ्य ठीक एवं कोई स्थायी अशक्तता नहीं होने, बंदी की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति खराब होने, बंदी द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने है, की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित की है, किन्तु बंदी की समयपूर्व मुक्ति की **संस्तुति नहीं** की है।

प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बंदी ने फिरौती की रकम वसूलने के लिए नैपाल सिंह के पुत्र श्री विशाल का दिनांक 12.06.2002 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराधसमाज को व्यापक रूप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

से प्रभावित करने,अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ने समिति की आख्या में की है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- प्रकरण में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8326/19 विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2019 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र (बन्दी संख्या-1749/2006) पुत्र श्री ताराचन्द्र, निवासी जनपद-गाजियाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-132/2019/2242(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- श्री सर्वेश सिंह बघेल, एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 22.09.2019 के संदर्भ में।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-132/2019/2242/22-2-2019-17(965)/2019

दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द्र, जो-ग्राम कुर्सी, थाना-मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद उ0प्र0 का रहने वाला है। बंदी ने फिरौती की रकम वसूलने के लिए नैपाल सिंह के पुत्र श्री विशाल का दिनांक 12.06.2002 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033/2002 एवं 1035/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए,34 व 25 ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0 सी0-01) गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा बंदी की अपील निस्तारित करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक 15 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 00 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 26-02-2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी की आयु लगभग 39 वर्ष होने,बंदी का स्वास्थ्य ठीक है एवं कोई स्थायी अशक्तता नहीं होने, बंदी की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति खराब होने, बंदी द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है, की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ने बंदी का अभिभावक उपयुक्त होने की आख्या अंकित की गयी है किन्तु बंदी की समयपूर्व मुक्ति की **संस्तुति नहीं** की है।

प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बंदी ने फिरौती की रकम वसूलने के लिए नैपाल सिंह के पुत्र श्री विशाल का दिनांक 12.06.2002 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने,अशक्त न होने का अंकन, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने समिति की आख्या में की है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विक्की उर्फ विजेन्द्र उर्फ विरेन्द्र पुत्र श्री ताराचन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारापरोन्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in